

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश : जबलपुर

॥ आदेश ॥

क्रमांक C/4332 / चार-9-24 / 2024 पेंशन

जबलपुर, दिनांक 24/06 / 2025

कुमारी रुपा पारस खेड़ा, ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम 1976 के नियम 42 (1) (ए) के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक 05.06.2025 को प्रस्तुत आवेदन पत्र उनकी 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकार किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा, कुमारी रुपा पारस खेड़ा, ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को दिनांक 05.07.2025 अपरान्ह से स्वैच्छापूर्वक सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार

सही / -

(धरमिन्दर सिंह)

रजिस्ट्रार जनरल

जबलपुर, दिनांक 24/06 / 2025

पृष्ठांकन क्रमांक C/4333 / चार-9-24 / 2024 पेंशन

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार प्रशासन / न्यायिक / डी0ई0 / सतर्कता / ई0 / आई0एल0आर0, परीक्षा / रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
2. संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, जबलपुर, मध्यप्रदेश,
3. संभागीय पेंशन अधिकारी, जिला पेंशन कार्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश,
4. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर (म0प्र0)
5. ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
7. माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
8. डिप्टी रजिस्ट्रार, न्यायिक / लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय, म0प्र0, जबलपुर
9. सेक्रेटरी टू द रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
10. श्री असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
11. श्री प्रशासनिक अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
12. सहायक, स्थापना / सेवापुस्तिका / वेतननिर्धारण / अवकाश / बजट / वेतन पत्रक / शिकायत / समूह बीमा / कार्य / कम्प्यूटर, उच्च न्यायालय, म0प्र0 जबलपुर।
13. अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टाईपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
14. कुमारी रुपा पारस खेड़ा, ज्यूडीशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)